न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

राजस्व वाद संख्या 54/2019 **RCMS 2019/00102**

वादी

1. रामदेवाराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष
2. मोहनी पत्नी डूंगाराम जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासीयान अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चूनाराम पुत्र गंगाराम
2. नानूराम पुत्र गंगाराम
3. बालूराम पुत्र गंगाराम
4. छोटी देवी पुत्री गंगाराम
5. भंवरी देवी पुत्री गंगाराम
6. माना पुत्री गंगाराम
7. सन्तरा पुत्री गंगाराम
8. रामधन पुत्र मांगूराम
9. छोगालाल पुत्र मांगूराम
10. सोनी देवी पत्नी मांगूराम
11. बिरमाराम पुत्र पोकरराम
12. नरेश कुमार पुत्र मूलचन्द
13. चन्द्री देवी पत्नी पोकरराम
14. छोटीदेवी पत्नी ज्ञानाराम
15. राकेश कुमार पुत्र टोडूराम
16. सन्तोष कुमार पुत्र टोडूराम
17. नागर पुत्र टोडूराम
18. मूली देवी पत्नी टोडूराम
19. चन्द्राराम पुत्र लालाराम
20. नाथूराम पुत्र लालाराम
21. रामेश्वरलाल पुत्र लालाराम
22. जगदीश पुत्र लिखमाराम
23. भागूराम पुत्र लिखमाराम
24. विमला देवी पुत्री लिखमाराम
25. भंवरीदेवी पत्नी लिखमाराम
26. सोहनलाल पुत्र लिखमाराम जाति सभी जाट निवासियान ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
27. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा :– इस्तकरार हक,भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88 , 53, 188 R.T.Act 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपस्थित :— श्री राजेश गुर्जर वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 06/07/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 09.04.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0 / 2021 / 933 दिनाक 03.12.2021 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 01.10.2021 को तैयार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 4.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 8.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 3.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 4.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 2.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.15 हैक्टर, कुल रकबा 25.11 हैक्टर की मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) प्रस्तुत किये। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 249 रकबा 2.22 के बट्टा नम्बर खसरा नम्बर 1033 / 249 रकबा 0.1080 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 1034 / 249 रकबा 2.1120 बारानी प्रथम अंकित हुये। इस प्रकार उपरोक्त रकबे में किसी प्रकार का अन्तर नही हुआ है। वादीगण को प्राथमिक डिक्री आदेश में खसरा नम्बर 192 एवं 193 में खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अनुसार वादीगण के पास मौके पर खसरा नम्बर 192, 193 कुल रकबा 4.33 हैक्टर पर काबिज है, खसरा नम्बर 179 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे खसरा नम्बर 193 में आन जाने हेतु रास्ता कायम किया हुआ है, जो कि मौके पर चालू है, रास्ते की लम्बाई 160 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है, रास्ते की कुल भूमि 960 वर्ग मीटर है, प्राथमिक डिक्री अनुसार वादीगण को 4.1850 हैक्टर खसरा नम्बर 192, 193 मे दी गई है, जो खातेदारी के अनुसार है, जिसमें प्रार्थी के आने—जाने के रास्ते का उल्लेख नही है, खसरा नम्बर 179 में रास्ते की भूमि का आधा हिस्सा वादीगण की भूमि में से कम होगा व आधा हिस्सा शेष संयुक्त खातेदारो की भूमि में [illegible] खसरा नम्बर 192 रकबा 0.10 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 193 में से 4.0370 [illegible] मि खातेदारी में रहेगी, शेष भूमि 0.2930 हैक्टर शेष खातेदारो की खातेदारी में रहेगी [illegible] का नजरी नक्शा तैयार किया गया है तथा मौके पर इसी अनुसार [illegible] आ रहे है, तथा नजरी नक्शा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दर्शाये गये हक हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने के कथन किये है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 4.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 8.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 3.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 4.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1033/249 रकबा 0.1080 हैक्टर, खसरा नम्बर 1034/249 रकबा 2.1120 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 25.11 हैक्टर में से तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 01.10.2021 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) वादीगण को खसरा नम्बर 192 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 4.33 हैक्टर में से 4.0370 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष रकबा एवं शेष खसरान में से वादीगण का नाम हटाया जाता है, खसरा नम्बर 179 में से 0.0480 हैक्टर रास्ते के उपयोग हेतु वादीगण के हक हिस्से में से कम की जाती है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। वादीगण का हक हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 06/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी जिला नागौर (राजस्थान)**

बइजलास : **मनोज (RAS)**

राजस्व वाद संख्या : 54/2019 **RCMS 2019/00102**

वादी

1. रामदेवाराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष
2. मोहनी पत्नी डूंगाराम जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासीयान अड़कसर तहसील कुचमानसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चूनाराम पुत्र गंगाराम
2. नानूराम पुत्र गंगाराम
3. बालूराम पुत्र गंगाराम
4. छोटी देवी पुत्री गंगाराम
5. भंवरी देवी पुत्री गंगाराम
6. माना पुत्री गंगाराम
7. सन्तरा पुत्री गंगाराम
8. रामधन पुत्र मांगूराम
9. छोगालाल पुत्र मांगूराम
10. सोनी देवी पत्नी मांगूराम
11. बिरमाराम पुत्र पोकरराम
12. नरेश कुमार पुत्र मूलचन्द
13. चन्द्री देवी पत्नी पोकरराम
14. छोटीदेवी पत्नी ज्ञानाराम
15. राकेश कुमार पुत्र टोडूराम
16. सन्तोष कुमार पुत्र टोडूराम
17. नागर पुत्र टोडूराम
18. मूली देवी पत्नी टोडूराम
19. चन्द्राराम पुत्र लालाराम
20. नाथूराम पुत्र लालाराम
21. रामेश्वरलाल पुत्र लालाराम
22. जगदीश पुत्र लिखमाराम
23. भागूराम पुत्र लिखमाराम
24. विमला देवी पुत्री लिखमाराम
25. भंवरीदेवी पत्नी लिखमाराम
26. सोहनलाल पुत्र लिखमाराम जाति सभी जाट निवासियान ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
27. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा :– इस्तकरार हक,भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88 , 53, 188 R.T.Act 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर हाजिरी .. .. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 179 रकबा 4.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 181 रकबा 8.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 3.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 4.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1033/249 रकबा 0.1080 हैक्टर, खसरा नम्बर 1034/249 रकबा 2.1120 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 25.11 हैक्टर में से तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 01.10.2021 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) वादीगण को खसरा नम्बर 192 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 4.33 हैक्टर में से 4.0370 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष रकबा एवं शेष खसरान में से वादीगण का नाम हटाया जाता है, खसरा नम्बर 179 में से 0.0480 हैक्टर रास्ते के उपयोग हेतु वादीगण के हक हिस्से में से कम की जाती है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। वादीगण का हक हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06 माह 07 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो [illegible] दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) कुचामन सिटी, जिला नागौर

क्रमांक/भू०अ०/कैम्प प्रेमपुरा/2021/933 दिनांक:- 03-12-2021

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामन सिटी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

विषय:- राजस्व प्रकरण वाद सं० 54/2019 RCMS 2019/00102 रामदेवाराम बनाम पुनाराम वगैरह में पारित प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक/राजस्व/2021/811 दिनांक 15-4-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 54/2019, RCMS 2019/00102 रामदेवाराम बनाम पुनाराम वगैरह के ग्राम अड़कसर में मा० न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार समस्त पक्षकारान् बंटवारा स्कीम तैयार कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

प्राप्त पत्रावली
7/12/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं नागरमल सेसमा ....(नाम) ~~तहसीलदार~~ भू.अ.निरिक्षक न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के आदेश कमांक /राजस्व/2021/811 दिनांक 15:4:21 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु एवं श्रीमान TDR कु.सिटी के आदेश क्रमांक /भू.अ./28 दि. 20.09.21 की पालना में आज दिनांक 01.10.2021 समय 4.pm बजे आराजी खसरा नम्बर- 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 192, 193, 247 से 250 तक वाके ग्राम अडकसर... पटवार हल्का अडकसर.......... पर श्री नरेन्द्र कुमार बिजारणियां नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी.... में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 54/2019.... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	रामदेवाराम	डूंगाराम	50 वर्ष	जाट	वादी
2.	मोहनी	w/o डूंगाराम	76 वर्ष	जाट	वादी
3.	धोगाराम	s/o मांगूराम	52 वर्ष	जाट	प्रतिवादी
4.	चन्द्राराम	s/o लालाराम	60 वर्ष	जाट	प्रतिवादी
5.	सोहनलाल	s/o लिखमाराम	40 वर्ष	जाट	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-13 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

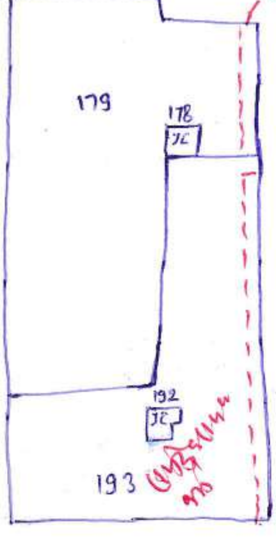

वादीगण के पास मौके पर ख.न. 192, 193 कुल रकबा 4.33 है. पर काबिज है। ख.न. 179 की दुली सीमा के सहारे-सहारे ख.न. 193 में आने जाने हेतु रास्ता कायम किया हुआ है, जो कि मौके पर चालू है। रास्ते की लम्बाई 160 मी. चौडाई 6 [illegible] .मी. है। प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादीगण को 4.1850 है. ख.न. 192, 193 में दी गयी [illegible] के अनुसार है। जिसमें प्रार्थी के आने-जाने के रास्ते का उल्लेख नहीं है [illegible] आधा हिस्सा वादीगण की भूमि में से कम होगा व आधा हिस्सा शेष संयुक्त खातेदारों की भूमि में से कम होगा। वादीगण को ख.न. 192 सम्पूर्ण 0.10 है. व ख.न. 193 में से 4.[illegible]0 है. भूमि खातेदारी में रहेगी। शेष भूमि 0.2930 है. शेष खातेदारों की खातेदारी में रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

भगाराम

प. अडकसर

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	रामदेवाराम	पु.डूंगाराम	जाट	रामदेवाराम	वादी
2.	मोहनी	पु.डूंगाराम	जाट	अं.नि. मोहनी	वादी
3.	चन्द्राराम	पु. लालाराम	जाट		प्रतिवादी
4.	नाथूराम	लालाराम	जाट	नाथूराम	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..	हस्ताक्षर
1.	महेन्द्र कुमार	रामदेवाराम	23	जाट	Mo-6367986511	महेन्द्र कुमार
2.	दानाराम	लिछमणराम	70	जाट		दानाराम
3.	रामेश्वरलाल	देवाराम	60	मेघवाल	9549249237	अं.नि. रामेश्वर
4.	राजकुमार	रेवाराम	36	जाट	6375506200	राजकुमार

इस प्रकार आज दिनांक 01-10-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
01-10-2021			
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. त.	तहसीलदार
पं. मं. अड़कसर	वृत..................	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) ... सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

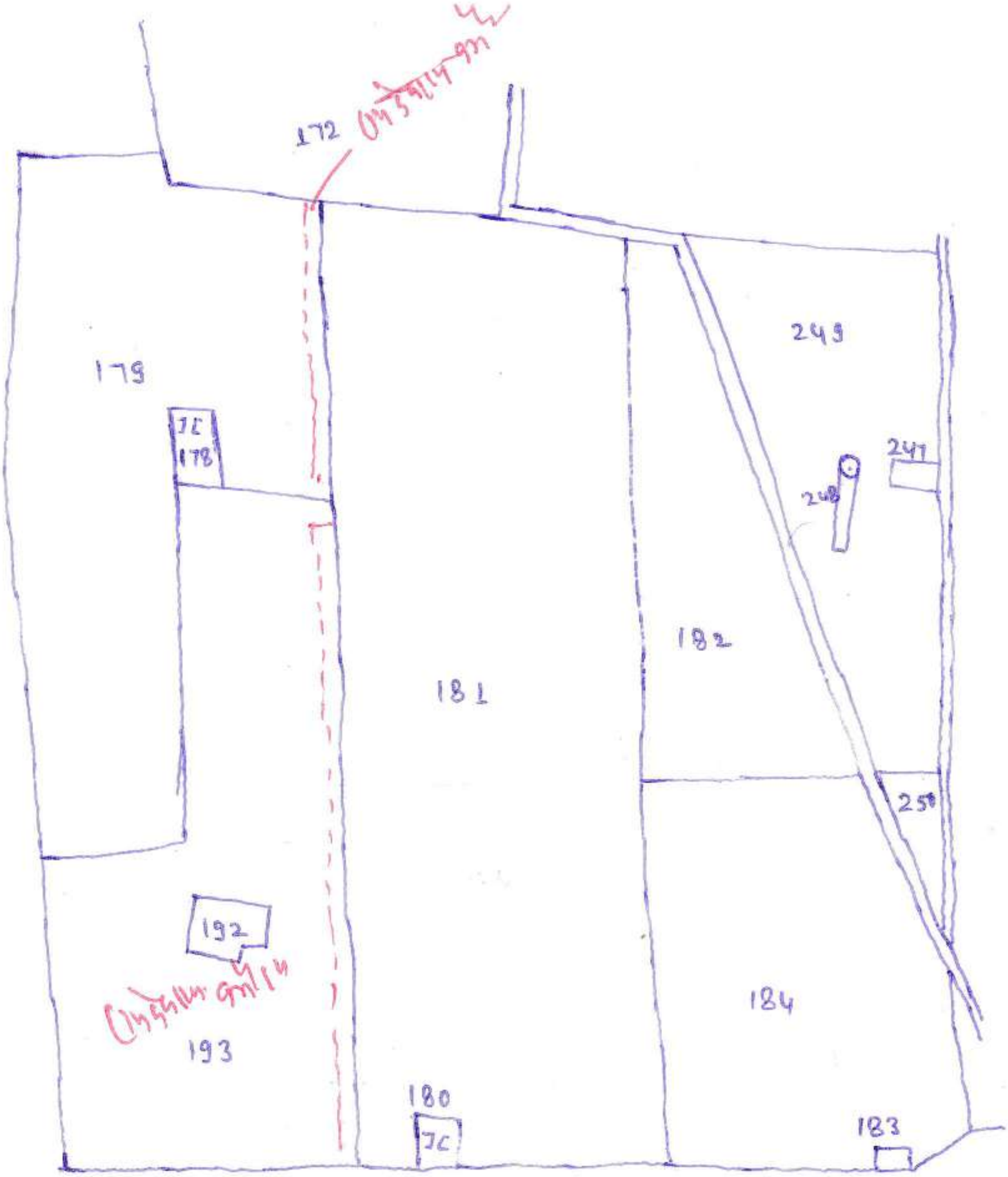

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

01-10-2021
पटवारी

तहसीलदार (भू.अ.)